न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 56/2020(GCMS : 2020/00142)

हाउसिंग डवलपमेंट फाईनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड (एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय रेमन हाउस, एच टी पारेख मार्ग, 169 बैकबे रिक्लेयेमेशन चर्चगेट, मुम्बई 400020 **एवं शाखा कार्यालय** एचडीएफसी लिमिटेड, सी–25 भगवन्त दास रोड़, सेन्ट जेवियर्स स्कूल के सामने, सी–स्कीम, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अमित डागा

बनाम

श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह पता मकान नं. 8–सी–9, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर–335001

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.09.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री अनिल सोनी ने वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 31.07.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी मनजीत सिंह को ऋण सुविधा के रूप में राशि 17.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये सत्रह लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृत दिनांक 30.10.2013 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी मनजीत सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल मकान नं. 8–सी–9, सैक्टर 8, यूआईटी, (क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर), जवाहर नगर, श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी मनजीत सिंह को 17.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये सत्रह लाख मात्र)** के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 30.10.2013 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मनजीत सिंह ने अपनी अचल सम्पत्ति **मकान नं. 8–सी–9, सैक्टर 8, यूआईटी, (क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर), जवाहर नगर, श्रीगंगानगर** प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:32:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

खाता दिनांक 31.07.2019 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 25.01.2020** को जारी कर दिनांक 31.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है तथा **अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी मनजीत सिंह की **अचल सम्पत्ति मकान नं. 8–सी–9, सैक्टर 8, यूआईटी, (क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर), जवाहर नगर, श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 25.01.2020 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 25.01.2020 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अ**प्रार्थी को दिनांक 31.01.2020 को ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके** परिणामस्वरूप **अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है,** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील [illegible] जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की [illegible] राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आ[illegible]ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मनजीत सिंह के द्वारा प्रार्थी बैंक के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rah
Date: 2023.09.18 15:32:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी हाउसिंग डवलपमेंट फाईनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड (एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **मनजीत सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति मकान नं. 8—सी—9, सैक्टर 8, यूआईटी, (क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर), जवाहर नगर, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:32:19 IST
Reason: SelfAttested